(10)

न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 272/2009

सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. सुखा पुत्र कुशला, जाति–जाट, निवासी–ग्राम कलवाडा, तहसील–सांगानेर। (मृतक)
   - 1/1. सुण्डाराम पुत्र स्व0 श्री सुखा (मृतक)
     - 1/1/1 भंवरलाल पुत्र स्व0 श्री सुण्डाराम (मृतक)
       - 1/1/1/1 मीरादेवी पत्नी स्व0 श्री भंवरलाल, जाति–जाट, निवासी–कलवाडा, तहसील–सांगोनर, जिला–जयपुर।
       - 1/1/1/2 योगेश पुत्र स्व0 श्री भंवरलाल, जाति–जाट, निवासी–कलवाडा, तहसील–सांगोनर, जिला–जयपुर।
       - 1/1/1/3 अमित पुत्र स्व0 श्री भंवरलाल, जाति–जाट, निवासी–कलवाडा, तहसील–सांगोनर, जिला–जयपुर।
     - 1/1/2 मदनलाल पुत्र स्व0 श्री सुण्डाराम, जाति–जाट, निवासी–कलवाडा, तहसील–सांगोनर, जिला–जयपुर।
     - 1/1/3 कैलाशचंद पुत्र स्व0 श्री सुण्डाराम, जाति–जाट, निवासी–कलवाडा, तहसील–सांगोनर, जिला–जयपुर।
     - 1/1/4 हनुमान प्रसाद पुत्र स्व0 श्री सुण्डाराम, जाति–जाट, निवासी–कलवाडा, तहसील–सांगोनर, जिला–जयपुर।
     - 1/1/5 ललीतादेवी पुत्री स्व0 श्री सुण्डाराम पत्नी श्री बाबूलाल, जाति–जाट निवासी–सिवार, तहसील–जयपुर।
     - 1/1/6 गोपालीदेवी पुत्री स्व0 श्री सुण्डाराम पत्नी श्री प्रभूदयाल, जाति–जाट निवासी–सिवार, तहसील–जयपुर।
   - 1/2. मंगलाराम पुत्र स्व0 श्री सुखा (मृतक)
     - 1/2/1 रूडी देवी पत्नी स्व0 श्री मंगलाराम, जाति–जाट, निवासी–कलवाडा, तहसील–सांगोनर, जिला–जयपुर।
     - 1/2/2 जीवण पुत्र स्व0 श्री मंगलाराम, जाति–जाट, निवासी–कलवाडा, तहसील सांगोनर, जिला–जयपुर।
     - 1/2/3 मंजू पुत्री स्व0 श्री मंगलाराम, जाति–जाट, निवासी–कलवाडा, तहसील सांगोनर, जिला–जयपुर।
     - 1/2/4 प्रभूराम पुत्र स्व0 श्री मंगलाराम (मृतक)
       - 1/2/4/1 नोसर पत्नी स्व0 श्री प्रभूराम, जाति–जाट, निवासी–कलवाडा, तहसील सांगोनर, जिला–जयपुर।
       - 1/2/4/2 रमेश पुत्र स्व0 श्री प्रभूराम, जाति–जाट, निवासी–कलवाडा, तहसील सांगोनर, जिला–जयपुर।
       - 1/2/4/3 मुकेश पुत्र स्व0 श्री प्रभूराम, जाति–जाट, निवासी–कलवाडा, तहसील सांगोनर, जिला–जयपुर।
       - 1/2/4/4 प्यारेलाल पुत्र स्व0 श्री प्रभूराम, जाति–जाट, निवासी–कलवाडा, तहसील सांगोनर, जिला–जयपुर।
   - 1/3. प्रभाती देवी पुत्री स्व0 श्री सुखा पत्नी श्री जगन्नाथ, जाति–जाट, निवासी–रामपुरा उंती, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   - 1/4. पांची देवी पुत्री स्व0 श्री सुखा पत्नी श्री जगदीशप्रसाद, जाति–जाट, निवासी–रामपुरा उंती, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   - 1/5. छोटी देवी पुत्री स्व0 श्री सुखा पत्नी श्री भूराराम, जाति–जाट, निवासी रेनवाल माजी (ढाणी छोटू बाबा की), तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण

Scanned by CamScanner

(11)

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. श्री विरेन्द्र सिंह खंगारोत, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1/1/2, 1/1/3, 1/1/4 की ओर से हाजिर आये किन्तु वरवक्त बहस अनुपस्थित रहे अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।
3. शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 26.06.2019

तहसीलदार, सांगानेर द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम कलवाडा की आराजी खसरा नम्बर 1156 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा मकबूजा बिना लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नाडी दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 1156 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा सुखा पुत्र श्री कुशला, जाति–जाट के हक में नियमन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–396 सुखा पुत्र श्री कुशला, जाति–जाट के नाम गैर–खातेदारी दर्ज होकर जमाबन्दी सम्वत् 2037–2040 में सुखा पुत्र श्री कुशला, जाति–जाट के नाम दर्ज है और वर्तमान में हाल खसरा नम्बर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 2129 रकबा 0.24 हे0 दर्ज होकर खातेदारी में इन्द्राज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकीन नाडी आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिना लगानी गैर–मुमकीन नाडी दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम कलवाडा की आराजी खसरा नम्बर 1156 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा मकबूजा बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नाडी दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 1156 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा सुखा पुत्र श्री कुशला, जाति–जाट के हक में नियमन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–396 सुखा पुत्र श्री कुशला, जाति–जाट के नाम गैर–खातेदारी दर्ज होकर जमाबन्दी सम्वत् 2037–2040 में सुखा पुत्र श्री कुशला, जाति–जाट के नाम दर्ज है और वर्तमान में हाल खसरा नम्बर मुताबिक मिलान

Scanned by CamScanner

(12)

क्षेत्रफल खसरा नम्बर 2129 रकबा 0.24 है0 दर्ज होकर खातेदारी में इन्द्राज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, डील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1156 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम कलवाडा को उप जिलाधीश, जयपुर की आज्ञा क्रमांक विविध/77/122 दिनांक 04.01.1978 द्वारा नियमन किया गया है। जिसका उल्लेख नामान्तरकरण सं0–396 के कॉलम सं0–16 पर है, नियमों के विपरीत अवैध रूप से नियमन/आवंटित की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 में यह आराजी गैर–मुमकिन नाडी दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी नियमन/आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। वादग्रस्त आराजी को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकिन नाडी की आराजी को नियमन/आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध नियमन/आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रारंभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में नियमन/आवंटन एवं नियमन/आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर ग्राम कलवाडा की आराजी खसरा नम्बर 1156 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा नियमन/आवंटित की गई जिसके हाल खसरा नम्बर 2129 रकबा 0.24 है0 है, को वापिस बिना लगानी गैर–मुमकिन नाडी दर्ज किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमनें विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम कलवाडा की आराजी खसरा नम्बर 1156 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा बिला लगान किस्म जमीन गैर–मुमकिन नाडी दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 1156 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा सुखा पुत्र श्री कुशला, जाति–जाट के हक में नियमन होने से जरिये

Scanned by CamScanner

(13)

नामान्तरकरण संख्या–396 सुखा पुत्र श्री कुशला, जाति–जाट के नाम गैर–खातेदारी दर्ज होकर जमाबन्दी सम्वत् 2037–2040 में सुखा पुत्र श्री कुशला, जाति–जाट के नाम दर्ज है और वर्तमान में हाल खसरा नम्बर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 2129 रकबा 0.24 हे0 दर्ज होकर खातेदारी में इन्द्राज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकिन नाडी आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् पेरोकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को नियमन /आवंटन तिथि को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन नाडी दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2011–2030 से होती है और इस आराजी का नियमन/आवंटन सुखा पुत्र श्री कुशला, जाति–जाट को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0–396 ग्राम–कलवाडा से होती है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिना लगानी गैर–मुमकीन नाडी की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नाडी भूमि का नियमन/आवंटन कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वत: ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकिन नाडी भूमि का आवंटन/ नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार सांगानेर द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है। परिणामत: उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0न0 आराजी ख0नं0

Scanned by CamScanner

(14)

1156 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा नियमन/आवंटित भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 2129 रकबा 0.24 हे0 निजी खातेदारी में दर्ज हैं, को निरस्त करने एवं इस नियमन/आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस बिना लगानी गैर–मुमकीन नाडी दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 09.09.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पावन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 26.06.2019 को सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner